न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, गोरखपुर।
सत्र वाद संख्या–1947/2021
उ0प्र0सरकार–बनाम–बहादुर चौहान और अन्य
मु0 अ0 सं0–156/2021
धारा–147,148,149,302,120बी भा0द0सं0
थाना– गुलरिहा, जिला गोरखपुर।

दिनांक–02.12.2021

निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज सं0 6ख

प्रार्थनापत्र कागज सं0 6ख अभियुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैंने उक्त प्रार्थना–पत्रों पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त नामित नहीं है और न ही सूचनादाता द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य घटना में संलिप्त होने के सम्बन्ध में दिया गया है। अभियुक्त के उपर मुकदमा उपरोक्त में जो भी साक्ष्य संकलित किया गया है, उन समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध धारा 147, 148, 149, 302 भा0द0सं0 प्रथम दृष्टया साबित नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा जो भी साक्ष्य संकलित की गयी है, उसमें मात्र सह अभियुक्तगण के बयान के आधार पर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि विधि की यह स्पष्ट व्यवस्था है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के मुताबिक सह अभियुक्त के बयान का कोई महत्व नहीं है। अतः अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश पारित किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान संकलित सम्पूर्ण साक्ष्यों से इस स्तर पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज सं0 6ख स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–227 पर विचार करते हुए **स्टेट बाई इन्स्पेक्टर आफ पुलिस चेन्नई –बनाम–सेल्वी और अन्य 2018 कि0ला0 ज0 1422** में निम्नलिखित अभिनिर्धारण किया गया हैः–

"**7.** It is well settled by this Court in catena of judgments including the cases of ***Union of India v. Prafulla Samal (1979) 3 SCC 4 : (AIR 1979 SC 366) ; Dilawar Babu v. State of Maharashtra (2002) 2 SCC 135 : (AIR 2002 SC 564); Sajjan Kumar v. CBI (2010) 9 SCC 368 : (2011 AIR SCW 3730); State v. A. Arun Kumar (2015) 2 SCC 417 : (AIR 2015 SC (Supp) 1774) ; Sonu Gupta v. Deepak Gupta (2015) 3 SCC 424 : (2015 AIR SCW 1199); State of Orissa v. Debendra Nath Padhi (2003) 2 SCC 711 : (AIR 2003 SCW 1512); Niranjan Singh Karam Singh Punjabi etc. v. Jitendra Bhimraj Bijjayya (1990) 4 SCC 76 : (AIR 1990***

SC 1962) and Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, West Bengal v. Anil Kumar Bhunja (1979) 4 SCC 274 : (AIR 1980 SC 52) that the Judge while considering the question of framing charge under Section 227 of the Code in sessions cases (which is akin to Section 239, Cr. P.C. pertaining to warrant cases) has the undoubted power to sift and weigh the evidence for the limited purpose of finding out whether or not a prima facie case against the accused has been made out; where the material placed before the Court disclose grave suspicion against the accused which has not been properly explained, the Court will be fully justified in framing the charge; by and large if two views are equally possible and the Judge is satisfied that the evidence produced before him while giving rise to some suspicion but not grave suspicion against the accused, he will be fully within his rights to discharge the accused. The Judge cannot act merely as a Post Office or a mouth-piece of the prosecution, but has to consider the broad probabilities of the case, the total effect of the statements and the documents produced before the Court, any basic infirmities appearing in the case and so on.

This however does not mean that the Judge should make a roving enquiry into the pros and cons of the matter and weigh the materials as if he was conducting a trial. In the case of ***Sajjan Kumar v.CBI (2010) 9 SCC 368 : (2011 AIR SCW 3730)***, this Court on consideration of the various decisions about the scope of Sections 227 and 228 of the Code, laid down the following principles:

(i) The Judge while considering the question of framing the charges under Section 227 of the Cr.P.C. has the undoubted power to sift and weigh the evidence for the limited purpose of finding out whether or not a prima facie case against the accused has been made out. The test to determine prima facie case would depend upon the facts of each case.

ii) Where the materials placed before the Court disclose grave suspicion against the accused which has not been properly explained, the Court will be fully justified in framing a charge and proceeding with the trial.

iii) The Court cannot act merely as a Post Office or a mouth-piece of the prosecution but has to consider the broad probabilities of the case, the total effect of the evidence and the documents

produced before the Court, any basic infirmities, etc. ***However, at this stage, there cannot be a roving enquiry into the pros and cons of the matter and weigh the evidence as if he was conducting a trial.***

iv) ***If on the basis of the material on record, the Court could form an opinion that the accused might have committed, offence it can frame the charge, though for conviction the conclusion is required to be proved beyond reasonable doubt that the accused has committed the offence.***

v) At the time of framing of the charges, the probative value of the material on record cannot be gone into but before framing a charge the Court must apply its judicial mind on the material placed on record and must be satisfied that the commission of offence by the accused was possible.

vi) At the stage of Sections 227 and 228, the Court is required to evaluate the material and documents on record with a view to find out if the facts emerging therefrom taken at their face value discloses the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. For this limited purpose, sift the evidence as it cannot be expected even at that initial stage to accept all that the prosecution states as gospel truth even if it is opposed to common sense or the broad probabilities of the case.

vii) If two views are possible and one of them gives rise to suspicion only, as distinguished from grave suspicion, the trial Judge will be empowered to discharge the accused and at this stage, he is not to see whether the trial will end in conviction or acquittal.

This Court in the cases of ***State v. A. Arun Kumar (2015) 2 SCC 417 : (AIR 2015 SC (Supp) 1774), Sonu Gupta v. Deepak Gupta (2015) 3 SCC 424 : (2015 AIR SCW 1199), State of Orissa v. Debendra Nath Padhi (2003) 2 SCC 711 : (AIR 2003 SC 1512) and State of Tamil Nadu v. Suresh Rajan (2014) 11 SCC 709 : (2014 AIR SCW 942)*** has reiterated almost the aforementioned principles........... ”

वर्तमान मामले में सूचनादाता भोला नाथ सिंह द्वारा थाना प्रभारी गुलरिहा जिला गोरखपुर में इस आशय की लिखित सूचना दी गयी कि सूचनादाता के सगे भाई बृजेश सिंह ग्राम पंचायत नरायनपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी थे। सूचनादाता के भाई बृजेश सिंह का विनय श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव एवं सुनील श्रीवास्तव उर्फ छोटे और रासमुझ से जमीन को लेकर विवाद था जिसके कारण उपरोक्त लोग सूचनादाता के भाई को कई बार जान से मारने की धमकी भी दिये

थे। दिनांक 02.04.2021 को रात्रि लगभग 10.45 बजे सूचनादाता अपने भाई आलोक सिंह और उपेन्द्र सिंह के साथ अपने मकान हिरागंज पर था। प्रचार के बाद सूचनादाता तथा भाई बृजेश सिंह, आलोक सिंह व उपेन्द्र सिंह सभी मेडिकल कालेज घर के लिए आ रहे थे और हिरागंज मकान के गेट पर ही थे तभी विनय श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव एवं सुनील श्रीवास्तव उर्फ छोटे तथा रामसमुझ और तीन अज्ञात व्यक्ति जिन्हें देखकर सूचनादाता पहचान सकता है, सूचनादाता के भाई बृजेश सिंह पर हत्या करने के लिए गोली मार दिये। सूचनादाता तथा उसके साथ के लोग उनको पकड़ना चाहे के फायर करते हुए भाग गये। सूचनादाता अपने भाई को उठाकर मेडिकल कालेज अस्पताल लेकर आये जिस पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचनादाता द्वारा दी गयी उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना गुलरिहा जिला गोरखपुर में अभियुक्तगण विनय श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव उर्फ छोटे, रामसमुझ एवं तीन व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 156/2021 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण बहादुर चौहान, जितेन्द्र सिंह एवं रामसमुझ के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 302 भा0द0सं0 व अभियुक्तगण दिवाकर सिंह उफ गोलू, कृष्ण कुमार गुप्ता के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

पत्रावली में संलग्न मृतक बृजेश सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित होता है कि मृतक के पोस्टमार्टम के समय उसके शरीर पर आग्नेयास्त्र का Entry Wound एवं Exit Wound पाया गया है तथा डाक्टर द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि मृतक बृजेश सिंह की मृत्यु आग्नेयास्त्र से आयी मृत्यु पूर्व चोटों के कारण उत्पन्न कोमा और शाक से हुई है। मामले की विवेचना के दौरान सूचनादाता भोला नाथ सिंह एवं घटना के स्वतंत्र गवाह राजेश निषाद, वकील चौहान, आलोक सिंह, उपेन्द्र चौहान, सुनील निषाद, अंजनी देवी, विजय निषाद, जयहिन्द भारती एवं घनश्याम प्रसाद ने घटना का समर्थन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों के परिशीलन के उपरान्त इस न्यायालय की दृष्टि में अभियुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भा0द0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 6ख निरस्त होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा उन्मोचित करने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 6ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप विरचित करने हेतु दिनांक 16.12.2021 को पेश हो। उक्त तिथि को सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

दिनांक–02.12.2021

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1,
गोरखपुर।

Digitally signed by Satya Nand Upadhyay
Date: 2021.12.02 15:06:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court